मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 08 /2018/डी. एम. सी/ब-7/चार भोपाल दिनांक 2 /01/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

शासन के समस्त विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

विषय : - वित्तीय वर्ष 2017-18 में मितव्ययता के उपाय।

प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं आदि के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता तथा लक्षित वित्तीय संकेतकों की सीमा में व्यय रखे जाने को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2017-18 की शेष अवधि के लिये निम्नांकित मदों के अन्तर्गत प्रावधानित बजट राशि में से व्यय को निम्नानुसार नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है : -

(1) वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक सेवाओं के लिये भुगतान वर्ष 2016-17 में विभाग अंतर्गत इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये।

(2) वर्ष 2017-18 में संधारण मद अंतर्गत व्यय विभागवार वर्ष 2016-17 में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये।

(3) वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय (बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष, किराया महसूल एवं कर छोड़कर) अंतर्गत भुगतान वर्ष 2016-17 के लिये विभाग में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये।

(4) कार्यालयीन उपकरण, वाहनों एवं सामग्री के क्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाये।

2/ निम्नांकित कय/व्यय उपर्युक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे :-

(1) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं / केन्द्र सहायतित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ।

(2) ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनवाड़ी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयॉ एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति संबंधी मद ।

3/ उपर्युक्तानुसार व्यय को नियंत्रित करने हेतु तत्काल कार्यवाही करें ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/1/18

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 9 /2018/डी. एम. सी/ब-7/चार भोपाल दिनांक 2/01/2018

प्रतिलिपिः-

01. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचित। [redacted] प्रश्नाधीन बजट शीर्ष के बजट सीमा को परिपत्र में उल्लेखित सीमा तक सीमित करने का अनुरोध है।

02. समस्त बजट शाखायें वित्त विभाग। परिपत्र में विहित प्रतिबंधों को शिथिल करने के प्रस्ताव पर संबंधित बजट शाखाओं द्वारा गुण-दोष आधारित परीक्षण कर अपर मुख्य सचिव, वित्त से आदेश प्राप्त किया जाए।

(अजय चौबे)
सचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग